संख्या-214/2019/2912/22-2-2019-17(219)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मबरूर हुसैन पुत्र श्री जहीर उर्फ अनीस निवासी जनपद-मुरादाबाद वर्तमान जनपद-सम्भल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33451/प्रोबे0-5/दयायाचिका बैढक-26-09-2019 दिनांक 15-11-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मबरूर हुसैन पुत्र श्री जहीर उर्फ अनीस, जो मौ0 दीयासराय कस्वा, थाना-नरवासा, जनपद-मुरादाबाद वर्तमान जनपद-सम्भल का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 06.05.2005 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से फायर करके 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1099/2005 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-13, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 30.01.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.01.2018 तक 05 वर्ष 01 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 08 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की वृद्धावस्था के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की काटी गयी अपरिहार सजा 05 वर्ष होने एवं कारित अपराध की प्रकृति के **दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है**।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तथा क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन नं0-22629/2019 मबरूर हुसैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2019 के अनुपालन में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी मबरूर हुसैन (बन्दी संख्या-15633) पुत्र श्री जहीर उर्फ अनीस निवासी जनपद-मुरादाबाद वर्तमान जनपद-सम्भल की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-214/2019/2912(1)/22-2-2019 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in